

5/0/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4/4/25 को पेश हो।

04
2025

पत्रावली पेश हुई। वकिल वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकिल वादी सुनी गई। दौराने बहस वकिल वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस वकिल वादी पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी सं. 3 ने दिनांक 23.08.2018 को जरिए विक्रय पत्र प्रतिवादी सं. 2 को विक्रय कर दी थी तदुपरान्त प्रतिवादी सं. 2 ने दिनांक 12.09.2022 को उक्त भूमि वादी को जरिए विक्रय पत्र विक्रय कर दी थी। वादी द्वारा उक्त भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद करने के बावजूद तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा वादी के नाम नामान्तरण दर्ज नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आये जिससे प्रतिवादीगण की वादी के वादपत्र पर मौन स्वीकृति जाहिर होती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोच्य में वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती है कि:-

निर्णय

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम टोडा प0ह0 टोडा तहसील नीमकाथाना अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख.नं. 2359 रकबा 0.89 हैक्ट0 में प्रतिवादी सं. 2 द्वारा वादी के हक में किए गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 12.09.2022 के अनुसार खातेदारी दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 04.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी,

नीमकाथाना

डिक्री मुकदमा इबतदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. गुरुजी स्टोन क्रेशर जरिए पार्टनर सीताराम कुमावत पुत्र नारायणराम जाति कुमावत निवासी टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-वादी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार तहसील नीमकाथाना वगैरह

-प्रतिवादीगण


दावा बाबत घोषणा

मुकदमा नं. 322 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी श्री रोशनलाल अग्रवाल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरू मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम टोडा प0ह0 टोडा तहसील नीमकाथाना अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख.नं. 2359 रकबा 0.89 हैक्ट0 में प्रतिवादी सं. 2 द्वारा वादी के हक में किए गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 12.09.2022 के अनुसार खातेदारी दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

.निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसल्ल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04 माह 04 सन् 2025 को जारी की गई।



दस्तखत.....
ओहदा.....

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।